

(To be substituted bearing same number & date)

प्रेषक

निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा, हरियाणा  
शिक्षा सदन, सैक्टर-5, पंचकूला।

सेवा में

1. निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0, गुडगांव।
2. राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारी/मौलिक शिक्षा अधिकारी।
3. सभी प्राचार्य, डाईट/गैटी।

यादी क्रमांक 15/11-13एच0आर0एल0 (4)  
दिनांक, पंचकूला 19.06.2015

विषय

मास्टर/ मिस्ट्रेसिज व सी0एण्ड0वी0 अध्यापको की भिन्न विषयों में प्राध्यापक वर्ग में पदोन्नति हेतु मामले भेजने बारे।



उपरोक्त विषय पर निदेशालय के पत्र क्रमांक 15/11-13एच0आर0एल0 (4) दिनांक 28.05.2015 के सशोधन में आपको सूचित किया जाता है कि दिनांक 12.02.2014 को वैब-साईट के माध्यम से नोटिस देते हुए आवेदन पत्र मागे गए थे। जिनमें मास्टर/ मिस्ट्रेसिज व सी0एण्ड0वी0 अध्यापको की सूचना मार्गी गई थी जिसमें जो अध्यापक "Haryana State Education School Cadre (Group-B) Service Rule, 2012" अनुसार 01.01.2014 को प्राध्यापक की पदोन्नति हेतु योग्य है। उनका सेवा रिकार्ड निदेशालय में भेजा जाए परन्तु 28.05.2015 के जारी पत्र में नियमित तिथि व एम0ए0 पास करने की तिथि दर्शाई गई है उसके सशोधन में यह लिखा जाता है कि जो कर्मचारी 01.01.2014 तक जो मास्टर/ मिस्ट्रेसिज व सी0एण्ड0वी0 योग्य है (जिनकी सूची आपको पहले ही ई-मेल के माध्यम से भेजी जा चुकी है। निदेशालय की वैबसाईट पर उपलब्ध है।) उन सभी कर्मचारियों के पदोन्नति मामले बारे निम्न अनुसार दस्तावेज/ प्रमाण पत्र निदेशालय को भेजें। ताकि उनकी पदोन्नति बारे विचार किया जा सके।

1. जांच व शिकायत सत्यनिष्ठा न होने बारे प्रमाण पत्र।
2. कोर्ट केस लम्बित न होने बारे प्रमाण पत्र।
3. वर्ष 2003-04 से 2014-15 तक कर्मचारी की ए0सी0आर0 की समरी शीट।
4. कर्मचारी संबंधित विषय में कम से कम 50प्रतिशत अकों सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से योग्यता प्राप्त हो।
5. कर्मचारी फीडर कैंडर में दो वर्ष का शैक्षणिक अनुभव पूर्ण करता हो।
6. उपरोक्त 1 से 5 तक प्रमाण पत्र जिला शिक्षा अधिकारी/जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षित होने आवश्यक है तथा इस बारे संबंधित जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी प्रमाण पत्र देगा की कोई भी लेफ्टआउट मामला रह जाता है तो इसके लिए संबंधित कर्मचारी/अधीक्षक/ जिला शिक्षा अधिकारी स्वयं जिम्मेवार होंगे।

इसके अलावा मास्टर/ मिस्ट्रेसिज व सी0एण्ड0वी0 को कोई आपति है तो वह दिनांक 25.06.2015 तक निदेशालय में उप- निदेशक एच0आर0एल0 या अधीक्षक एच0आर0एल0 को लिखित रूप में जमा करवाये /प्रस्तुत करें। इसके पश्चात कोई आपति दर्ज नहीं की जाएगी।

उक्त पदोन्नति मामले से संबंधित दस्तावेज/सूचना दिनांक 23.06.2015 तक हर अवस्था में निदेशालय में विशेष वाहक के माध्यम से निदेशालय में भिजवाएं।

संलग्न: उपरोक्तनुसार

  
अधीक्षक एच0आर0एल0  
कृते: निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा, हरियाणा  
पंचकूला।  


## NOTICE

**Subject: Regarding inviting applications for Promotion from cadre of Masters/TGT as Lecturer/PGT cadre.**

The matter regarding promotion for Lecturer in different subjects (i.e. *Biology, Chemistry, Economics, English, Fine Arts, Geography, Hindi, History, Home Science, Mathematics, Music, Physical Education, Physics, Political Science, Psychology, Punjabi, Sanskrit, Sociology, Urdu*) from the cadre of Master/TGT are under consideration since long. The Department has decided to invite the applications for promotion as Lecturer directly from Masters/TGT who are eligible as on 01.01.2014 as per **“Haryana State Education School Cadre Group B Service Rules, 2012”**.

All eligible candidates are requested to apply in the enclosed proforma alongwith requisite documents personally to following officer upto 25.02.2014 the employee who does not apply for promotion in the prescribed proforma, his/her case will not be considered for promotion. Personal file/ other relevant record required for promotion will be procured from the concerned District Education Office after receiving the applications by the Department itself.

Nodal Officer for receiving cases:

**Sh. H.S. Saini**  
**Deputy Director Lecturer**  
**O/o Secondary Education Department**  
**Room No. 202**  
**Shiksha Sadan, Sector 5**  
**Panchkula 134109**